7. दक्षिण भारत के गांव

(तलैच्छंगाडु गांव सन् 950 से 1250)

इस पाठ में हम एक बहुत पुराने गांव की कहानी पढ़ेंगे। उस गांव में पहले लोग कैसे रहते थे, फिर वहां क्या-क्या बदलाव आए, लोगों की क्या समस्याएं थीं, उन्होंने उसके लिए क्या किया ..... आदि बातें पढेंगे। तुम पहले इस पाठ में दिए चित्रों को देखकर अंदाज़ लगाओ कि उस गांव मे क्या-क्या हुआ होगा।

राज्य की व्यवस्था में सबसे प्रमुख बात होती थी- प्रजा से लगान व कर वसूल करना। अजातशत्रु और अशोक जैसे पुराने राजाओं के समय में यह काम राजा के अधिकारी करते थे। ये अधिकारी लगान वसूल करके राज़ा को देते थे और राजा उन्हें नियमित वेतन देता था।

पाठ 6 में तुमने पढ़ा कि सन् 700 के बाद उत्तर भारत में राजा अपने रिश्तेदारों व अधिकारियों को गांव भोग करने के लिए देने लगे। ये भोगपति गांव वालों से लगान वसूल करके खुद रख लेते थे। उन्हें राजा से कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था।

दक्षिण भारत में लोगों से लगान वसूल करने की एक और व्यवस्था थी। यह क्या व्यवस्था थी- चलो देखें।

"ऊर" और "नाडु"

आज से एक हज़ार वर्ष पूर्व तमिलनाडु के गांवों मे एक व्यवस्था थी। वहां के हर गांव में किसानों की एव सभा (समिति) होती थी जिसे "ऊर" कहा जाता था। ऊ में गांव के प्रमुख किसान सदस्य थे। यही ऊर गांव के सब कामकाज चलाती थी- लोगों के बीच झगड़े निपटाना अपराधियों को दण्ड देना, ज़मीन का लेखा-जोखा हिसाब-किताब रखना, नहर के पानी का बंटवारा करन आदि। ऊर का एक और महत्वपूर्ण काम था- किसानों से लगान वसूल करके राजा तक पहुंचाना। दक्षिण भारत मे गांव के किसानों की सभा ऊर ही, किसानों से लगान वसूल कर के राजा को देती थी।

ऊर सभा की बैठक हो रही है

लगान वसूल करने के काम में दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या अन्तर लगा दो वाक्यों में लिखो।

उस समय एक और समिति होती थी- जिसका नाम था - 'नाडु'। 20-25 गांवों के बीच एक नाडु समिति होती थी जिसमें उन गांवों के प्रमुख परिवार सदस्य थे। उन गांवों की देख रेख करना, गांवों के बीच झगड़े निपटाना, आदि काम नाडु समिति करती थी।

अगर राजा को गांव में कोई काम करवाना होता था तो वह ऊर या नाडु को आदेश देता था। उस आदेश का पालन ऊर और नाडु करती थीं।

राजा अशोक के समय में राजा अपने अधिकारियों से लगान इकट्ठा करवाते थे व अन्य काम करवाते थे। पर सन् 700 से 1200 के समय में दक्षिण भारत के राजा अपनी सेवा में बहुत कम अधिकारी रखते थे। गांवों में ज़्यादातर कामकाज ऊर और नाडु ही करती थीं। ऊर या नाडु के सदस्यों को राजा कोई वेतन नहीं देता था। उनकी नियुक्ति भी राजा नहीं करता था।

नाडु के काम के बारे में जिन वाक्यों में बताया गया है- उन वाक्यों को रेखांकित करो।

एक गांव की समिति ..... थी।

कई गांवों की समिति ..... थी।

राजा के अधिकारी और ऊर के सदस्यों के बीच क्या अंतर था?

ऊर के सदस्यों का जीवन ..... पर निर्भर था।

वेल्लाल किसान और परैयर मज़दूर

ऊर, नाडु जैसी समितियां कावेरी नदी के किनारे बसे गांवों में पायी जाती थीं। इन गांवों में अधिकतर वेल्लाल जाति के किसान रहते थे। इन किसानों के खेतों में परैयर जाति के मज़दूर काम करते थे। परैयर मज़दूर अछूत माने जाते थे और उन्हें गांव के बाहर ही रहना पड़ता था।

कावेरी नदी के आसपास के गांवों की मिट्टी अच्छी और उपजाऊ थी। इससे वहां हर साल धान की दो-तीन फसलें भी हो जाती थीं।

इस कारण कई वेल्लाल किसान बहुत धनी व ताकतवर थे। ऊर व नाडु में उनका ही बोल-बाला था।

पर, कभी-कभी ऐसी भी परिस्थिति बन जाती थी जब वेल्लाल किसानों और ऊर का महत्व कम हो जाता था। यह स्थिति तब बनती भी जब राजा कोई गांव ब्राह्मणों को दान कर देता था।

तुम्हें याद होगा, उन दिनों राजा ब्राह्मणों को बुला-बुलाकर बसा रहे थे- उन्हें गांव दान में दे रहे थे। कावेरी नदी के मुहाने में ऐसे बहुत से ब्राह्मण बसाये गये।

राजा जब कोई गांव ब्राह्मणों को दान कर देता था तब क्या व्यवस्था होती थी? यह बात एक गांव तलैच्छंगाडु के उदाहरण से पढ़ो।

वेल्लाल ..... थे और परैयर ..... थे।

तलैच्छंगाडु ब्राह्मणों का हुआ

सन् 950 के लगभग चोल वंश के राजा ने तलैच्छंगाडु नाम का एक संपन्न गांव कई ब्राह्मणों को दान में दे दिया। राजा ने उस इलाके की नाडु समिति के नाम आदेश भेजा कि तलैच्छंगाडु ब्राह्मणों को दान में दिया जा रहा है। नाडु समिति ऐसी व्यवस्था करे कि उक्त गांव इन ब्राह्मणों को प्राप्त हो जाये।

नाडु ने आदेश का पालन किया और तलैच्छंगाडु ब्राह्मणों का हो गया। वेल्लाल किसान अब ज़मीन के मालिक नहीं रहे। ब्राह्मण ज़मीन के मालिक बन गये। कई ब्राह्मण परिवार तलैच्छंगाडु में आकर बस गये। इन परिवारों ने ज़मीन आपस में बांट ली। वेल्लाल किसान अब इन ब्राह्मणों के बटाईदार बन गये।

वेल्लाल बटाईदारों को अब अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा उन ब्राह्मणों को देना पड़ता था। नहर से सिंचित ज़मीन पर ब्राह्मण फसल का दो तिहाई भाग लेते थे और असिंचित ज़मीन पर आधी फसल ब्राह्मणों की हो जाती थी। ब्राह्मण वेल्लालों से अब बेगार (बिना पैसे दिये काम) भी करवा सकते थे।

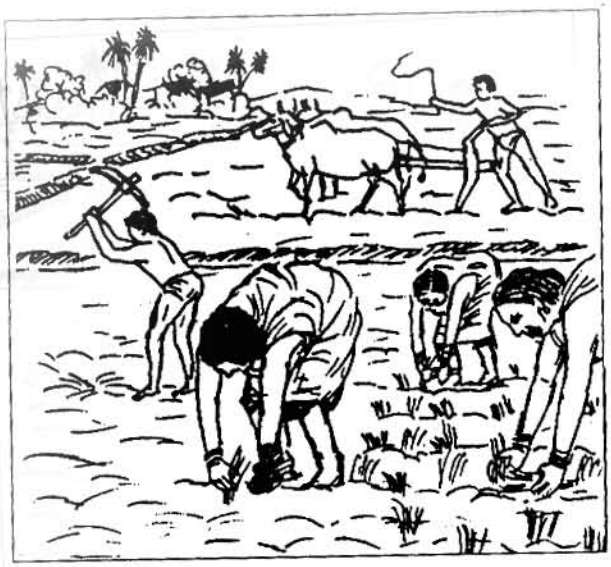

तलैच्छंगाडु में जो परिवर्तन हुये, वे इन दो चित्रों में दिखाये गये हैं। इन दो चित्रों में क्या परिवर्तन तुम्हें नज़र आते हैं?

तुम्हारे गांव में बटाईदार को फसल का कितना मिलता है?

ब्राह्मण गांव के कामकाज की देख-रेख भी खुद करने लगे। वेल्लालों की ऊर समिति भंग (खत्म) हो गई। उसकी जगह ब्राह्मणों ने अपनी एक सभा बनाई जिसे मूलपुरुष सभा कहते थे।

मूलपुरुष सभा में गांव के प्रमुख ब्राह्मण बारी-बारी से सदस्य बनते थे। मूलपुरुष सभा ही अब गांव से लगान वसूल करके राजा को पहुंचाने का काम करने लगी।

ब्राह्मणों को दान में मिलने के बाद तलैच्छंगाडु में क्या-क्या परिवर्तन आये- इसके बारे में चार महत्वपूर्ण वाक्य रेखांकित करो।

तलैच्छंगाडु के मंदिर

उस समय तलैच्छंगाडु में तीन बड़े और प्रसिद्ध मंदिर थे- दो शिव मंदिर और एक विष्णु मंदिर। उन दिनों कई लोग इन मंदिरों को सोना, चांदी या ज़मीन दान में देते थे। इस प्रकार मंदिरों के पास खूब सारा धन इकट्ठा होता गया। सन् 1000 के लगभग इन मंदिरों को पत्थर से बनवाया गया। समय के साथ मंदिर बड़े होते गये। उनमें तरह-तरह के लोग, पुजारी, नाच गान करने वाले, ढोलक बजाने वाले, पानी भरने वाले, खाना पकाने वाले, माली, आदि काम करने लगे। इन सबका खर्चा मंदिर की ज़मीन से आता था। मंदिर की ज़मीन से राजा को भी लगान मिलता था। मूलपुरुष सभा ही मंदिर से लगान वसूल करके राजा को देती थी।

मंदिरों को पत्थर से बनवाया गया

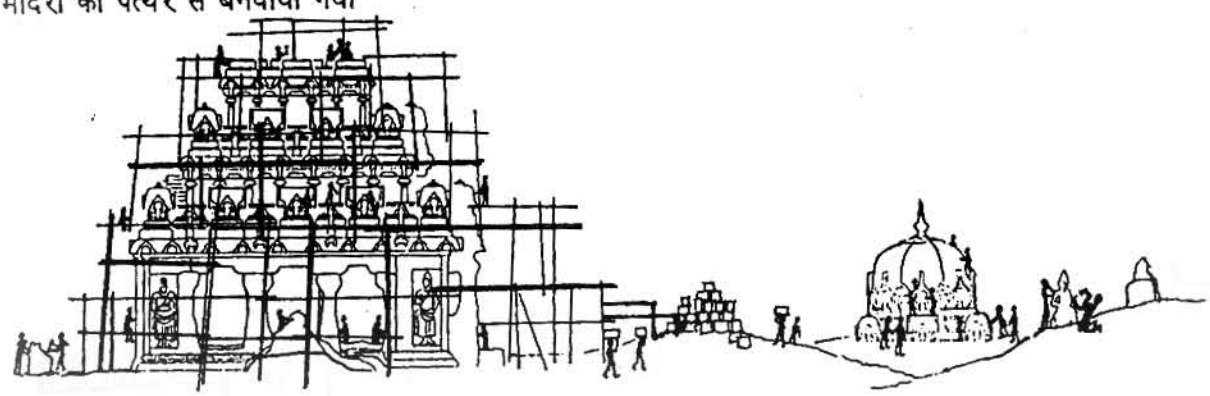

मूलपुरुष सभा और गांव

एक बार सन् 1006 की बात है। ब्राह्मणों ने चाहा हर साल चैत के महीने में गांव के शिव मंदिर में एक बड़े त्यौहार का आयोजन हो। त्यौहार के खर्च के लिए मंदिर को हर साल धन कहां से मिलेगा? मूलपुरुष सभा ने तय किया कि मंदिर की कुछ ज़मीन पर वे लगान माफ कर देंगे। मूलपुरुषों ने कहा- "हम खुद, अपनी तरफ से उस ज़मीन पर राजा को हर वर्ष लगान देंगे। मंदिर को लगान नहीं देनी पड़ेगी। इससे जो धन बचेगा उससे हर साल मंदिर में त्यौहार मनाया जाए।"

एक और बार की बात है। तलैच्छंगाडु की मूलपुरुष सभा ने तय किया कि गांव के विष्णु मंदिर में रोज़ दस ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये। इस खर्च के लिए मूलपुरुषों ने मंदिर को सौ 'काशु' (सोने के सिक्के) दिये। सौ काशु जुटाने के लिए मूलपुरुष सभा ने गांव के कारीगरों से वसूली की- बढ़ई से सात काशु लिए, सुनार से भी सात काशु लिए, और लोहार से भी, धोबी से साढ़े तीन काशु लिए, शराब बनाने वालों से 35 काशु लिए। बचे हुए पैसे अपनी तरफ से जोड़कर सभा ने मंदिर को दान दिया।

ऊपर के अंश में किन दो वाक्यों से मूलपुरुष सभा का गांव पर अधिकार पता चलता है, रेखांकित करो।

उत्तर भारत के गांवों में इस तरह के अधिकार किसे मिले हुए थे?

झगड़े सुलझाना, दण्ड देना

मूलपुरुष सभा गांव के झगड़े, विवाद सुलझाने और दण्ड देने का काम भी करती थी। एक बार तो कुछ ब्राह्मणों और मंदिर के बीच ही ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया। गांव की ज़मीन के एक टुकड़े पर चार ब्राह्मण खेती करवाते थे। एक दिन शिव मंदिर की समिति ने दावा किया कि वो ज़मीन वास्तव में मंदिर की है। उन्होंने कहा कि उस खेत की सीमा पर एक पत्थर गढ़ा हुआ था जिस पर मंदिर का त्रिशूल बना था। उन चार ब्राह्मणों ने चोरी छिपे उस पत्थर को उखाड़ फेंका और खुद उस खेत पर अधिकार जमा लिया। वे चार ब्राह्मण इस आरोप को झूठा कह रहे थे। काफी विवाद हुआ।

मंदिर के हक को सिद्ध करने के लिए मंदिर में एक नौकर ने खुद को आग लगा कर आत्म-बलिदान किया। उस समय की मान्यता थी कि जो व्यक्ति अपने कथन को सिद्ध करने के लिए मरने तक को तैयार हो वह सच ही कह रहा होगा। जब बात यहां तक पहुंची तो मूलपुरुष सभा ने अपने दस्तावेज़ निकाल कर देखे। दस्तावेज़ों से पता चला कि खेत मंदिर का ही था।

तब मूलपुरुष सभा ने उन चार ब्राह्मणों को दण्ड के रूप में यह आदेश दिया कि वे खेत मंदिर को सौंप दें। साथ ही, जिस नौकर ने आत्म-बलिदान दिया था उसकी एक कांसे की मूर्ति बनवा कर मंदिर में रखवाएं। उस मूर्ति की पूजा के लिए वे चार ब्राह्मण अपनी कुछ ज़मीन मंदिर को दान करें।

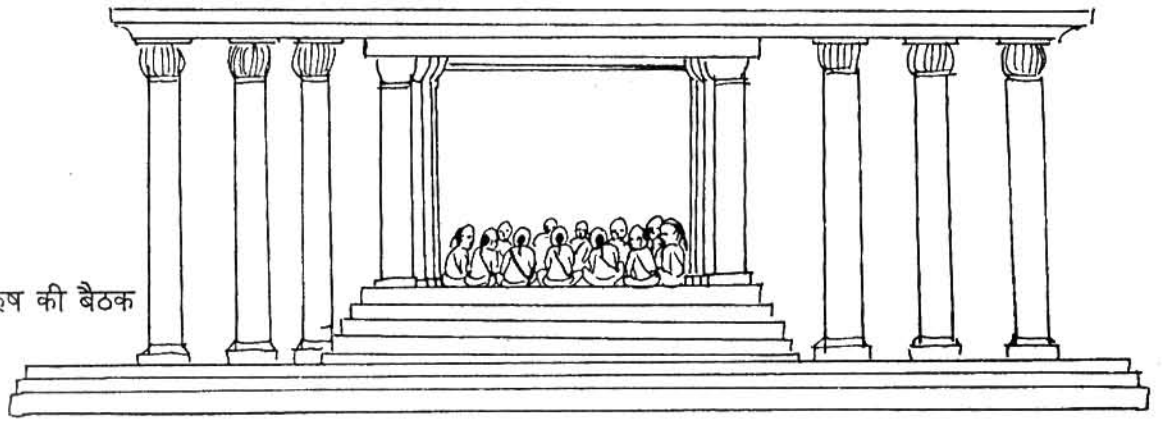

मूलपुरुष की बैठक

ब्राह्मणों की सभा पर नाडु का दबाव

असल में यद्यपि गांव के स्तर पर ब्राह्मणों की मूलपुरुष सभा को सब अधिकार थे, पर ऐसा नहीं था कि मूलपुरुष सभा अपनी हर बात मनवा सकती थी। तलैच्छंगाडु को छोड़कर उस इलाके के बाकी गांव तो वेल्लाल किसानों के ही थे। उस इलाके की नाडु सभा भी पहले की ही तरह कामकाज संभालती थी। नाडु अगर कोई बात का दबाव डाले तो ब्राह्मणों की मूलपुरुष सभा आसानी से अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी।

एक बार ऐसी ही स्थिति बन गई। तलैच्छंगाडु गांव के ब्राह्मण अपने बटाईदारों को खेत की उपज का जो हिस्सा देते थे, वो उन्होंने कम कर दिया। वेल्लाल जाति के किसान जो उनके बटाईदार थे, बहुत क्रोधित हुए और कई वेल्लालों ने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। तब ब्राह्मणों ने अपने नौकरों को बटाईदारों के घर भेजकर तोड़-फोड़, मारपीट मचानी शुरू कर दी।

जब कई वर्षों तक यह तनातनी चलती रही तो तलैच्छंगाडु के किसानों ने नाडु की सभा में अपनी समस्या रखी। नाडु सभा ने विचार करके तय किया कि ब्राह्मण भूस्वामियों (ज़मीन के मालिकों) की ज़ोर ज़बरदस्ती चुपचाप सहन नहीं की जाएगी। नाडु ने आसपास की सब ब्राह्मण सभाओं को चेतावनी दी कि अगर वे अपने बटाईदारों के साथ ठीक समझौता नहीं करेंगे तो बटाईदार उनके खेत नहीं जोतेंगे और गांव छोड़कर चले जाएंगे।

आखिरकार ब्राह्मणों ने वेल्लाल किसानों के साथ फसल के हिस्से पर समझौता कर लिया। वे बटाईदारों को पहले जितना हिस्सा देना मान गये।

इन उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि दक्षिण भारत के गांवों में किसानों, ब्राह्मणों आदि की समितियां समाज के कई कामकाज संभालती थीं। राजा के अधिकारियों या राजा द्वारा नियुक्त किए गए भोगपति जैसे लोगों का उन गांवों पर प्रभाव नहीं था।

पुराने समय के गांवों के बारे में कई किस्से मालूम पड़ते हैं। दक्षिण भारत में यह प्रथा थी कि लोग गांव में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को मंदिर की दीवार पर खुदवा देते थे। तुम अगर आज भी तलैच्छंगाडु जाओ तो वहां तुम्हें वही शिव मंदिर मिलेगा जो 1000 साल पुराना है- और उसकी दीवार पर वे बातें खुदी हुई मिलेंगी, जो हमने यहां तुम्हें बताई हैं। अगर तुम तमिल भाषा जानते हो तो उन बातों को पढ़ सकते हो।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. ऊर के सदस्य कौन थे? ऊर का क्या काम था?
2. नीचे दो घटनायें दी गयी हैं। इनमें से कौन सी उत्तर भारत की है और कौन सी दक्षिण भारत की है- पहचानो और कारण बताओ।

क) राजपुत्र लाखणपाल, एक दिन नद्दुलै गांव में पहुंचा और गांव वालों को बुलाकर कहा- "यहां के मंदिर में पूजा के खर्च के लिए, गांव के प्रत्येक हल पर एक पाई गेहूं दिया जाए।"

ख) एक दिन राजा के दरबार से एक संदेशक गांव में आया। किसानों की सभा में जाकर उसने राजा का संदेश बताया। संदेश था- "आप के गांव के मंदिर में पूजा ठीक से नहीं हो रही है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि मंदिर को पूजा के लिए पर्याप्त धन मिले।" किसानों की सभा ने तय किया कि गांव के हर हल पर एक चांदी का सिक्का मंदिर को दिया जायेगा।

3. मूलपुरुष सभा ही गांव से लगान वसूल करके राजा को पहुंचाती थी। यह बात कौन सी घटना से पता चलती है? उस घटना के बारे में तीन वाक्य लिखो।
4. गांव के कारीगरों पर मूलपुरुष सभा का अधिकार था। यह बात कौन सी घटना से पता चलती है?
5. आजकल ज़मीन जायदाद के मामले दीवानी अदालत में तय होते हैं- पुराने समय में दक्षिण भारत के गांवों में ज़मीन के झगड़ों को कहां सुलझाया जाता था?
6. तलैच्छंगाडु में ब्राह्मण भूस्वामी, वेल्लाल बटाईदारों पर क्यों मनमानी नहीं कर सके?
9. तलैच्छंगाडु में सन् 950 से 1250 तक हुई घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है?

ब्राह्मणों की सभा पर नाडु का दबाव

असल में यद्यपि गांव के स्तर पर ब्राह्मणों की मूलपुरुष सभा को सब अधिकार थे, पर ऐसा नहीं था कि मूलपुरुष सभा अपनी हर बात मनवा सकती थी। तलैच्छंगाडु को छोड़कर उस इलाके के बाकी गांव तो वेल्लाल किसानों के ही थे। उस इलाके की नाडु सभा भी पहले की ही तरह कामकाज संभालती थी। नाडु अगर कोई बात का दबाव डाले तो ब्राह्मणों की मूलपुरुष सभा आसानी से अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी।

एक बार ऐसी ही स्थिति बन गई। तलैच्छंगाडु गांव के ब्राह्मण अपने बटाईदारों को खेत की उपज का जो हिस्सा देते थे, वो उन्होंने कम कर दिया। वेल्लाल जाति के किसान जो उनके बटाईदार थे, बहुत क्रोधित हुए और कई वेल्लालों ने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। तब ब्राह्मणों ने अपने नौकरों को बटाईदारों के घर भेजकर तोड़-फोड़, मारपीट मचानी शुरू कर दी।

जब कई वर्षों तक यह तनातनी चलती रही तो तलैच्छंगाडु के किसानों ने नाडु की सभा में अपनी समस्या रखी। नाडु सभा ने विचार करके तय किया कि ब्राह्मण भूस्वामियों (ज़मीन के मालिकों) की ज़ोर ज़बरदस्ती चुपचाप सहन नहीं की जाएगी। नाडु ने आसपास की सब ब्राह्मण सभाओं को चेतावनी दी कि अगर वे अपने बटाईदारों के साथ ठीक समझौता नहीं करेंगे तो बटाईदार उनके खेत नहीं जोतेंगे और गांव छोड़कर चले जाएंगे।

आखिरकार ब्राह्मणों ने वेल्लाल किसानों के साथ फसल के हिस्से पर समझौता कर लिया। वे बटाईदारों को पहले जितना हिस्सा देना मान गये।

इन उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि दक्षिण भारत के गांवों में किसानों, ब्राह्मणों आदि की समितियां समाज के कई कामकाज संभालती थीं। राजा के अधिकारियों या राजा द्वारा नियुक्त किए गए भोगपति जैसे लोगों का उन गांवों पर प्रभाव नहीं था।

पुराने समय के गांवों के बारे में कई किस्से मालूम पड़ते हैं। दक्षिण भारत में यह प्रथा थी कि लोग गांव में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को मंदिर की दीवार पर खुदवा देते थे। तुम अगर आज भी तलैच्छंगाडु जाओ तो वहां तुम्हें वही शिव मंदिर मिलेगा जो 1000 साल पुराना है- और उसकी दीवार पर वे बातें खुदी हुई मिलेंगी, जो हमने यहां तुम्हें बताई हैं। अगर तुम तमिल भाषा जानते हो तो उन बातों को पढ़ सकते हो।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. ऊर के सदस्य कौन थे? ऊर का क्या काम था?
2. नीचे दो घटनायें दी गयी हैं। इनमें से कौन सी उत्तर भारत की है और कौन सी दक्षिण भारत की है- पहचानो और कारण बताओ।

क) राजपुत्र लाखणपाल, एक दिन नद्दुलै गांव में पहुंचा और गांव वालों को बुलाकर कहा- "यहां के मंदिर में पूजा के खर्च के लिए, गांव के प्रत्येक हल पर एक पाई गेहूं दिया जाए।"

ख) एक दिन राजा के दरबार से एक संदेशक गांव में आया। किसानों की सभा में जाकर उसने राजा का संदेश बताया। संदेश था- "आप के गांव के मंदिर में पूजा ठीक से नहीं हो रही है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि मंदिर को पूजा के लिए पर्याप्त धन मिले।" किसानों की सभा ने तय किया कि गांव के हर हल पर एक चांदी का सिक्का मंदिर को दिया जायेगा।

3. मूलपुरुष सभा ही गांव से लगान वसूल करके राजा को पहुंचाती थी। यह बात कौन सी घटना से पता चलती है? उस घटना के बारे में तीन वाक्य लिखो।
4. गांव के कारीगरों पर मूलपुरुष सभा का अधिकार था। यह बात कौन सी घटना से पता चलती है?
5. आजकल ज़मीन जायदाद के मामले दीवानी अदालत में तय होते हैं- पुराने समय में दक्षिण भारत के गांवों में ज़मीन के झगड़ों को कहां सुलझाया जाता था?
6. तलैच्छंगाडु में ब्राह्मण भूस्वामी, वेल्लाल बटाईदारों पर क्यों मनमानी नहीं कर सके?
9. तलैच्छंगाडु में सन् 950 से 1250 तक हुई घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है?